हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone 0788-2359400

क्र. 464 /अका./2018 दुर्ग, दिनांक : 27/08/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की नियमित बैठक मंगलवार, दिनांक 14.08.2018 समय दोपहर 02:00 बजे विश्वविद्यालय के टैगोर हॉल में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

प्रो. शैलेन्द्र सराफ, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. चंद्रिका नाथवानी – सदस्य
2. डॉ. ओ.पी. गुप्ता – सदस्य
3. डॉ. ए.के.मिश्रा – सदस्य
4. डॉ. अनिता महिस्वर – सदस्य
5. मान.श्री अवधेश सिंह चंदेल – सदस्य
6. मान. श्री अरूण वोरा – सदस्य
7. डॉ. भैयाराम सिन्हा – सदस्य
8. डॉ. राधा पाण्डेय – सदस्य
9. डॉ. पद्मा अग्रवाल – सदस्य
10. श्री आनंद मिश्रा – सदस्य
11. श्री अशोक लोहिया – सदस्य

डॉ. राजेश पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

<u>कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.08.2018 में लिए गए निर्णय का कार्यवृत्तः–</u>

विषय क्रमांक 01.

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 01/06/2018 में लिए गये निर्णयों की पुष्टि करना।

निर्णय : कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 01/06/2018 के लिए गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक 02.

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 01/06/2018 में लिए गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णयः बैठक दिनांक 01.08.2018 के बिन्दु क्रमांक परीक्षा–3 में परीक्षा संचालन व्यवस्था के संदर्भ में आगामी बैठक में कुलसचिव द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में लिए गये निर्णय के परिपालन में सदन के संज्ञान में यह लाया गया कि तत्कालिन कुलसचिव के स्थानांतरण हो जाने के कारण प्रतिवेदन इस बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अध्यक्ष ने सदन को यह आश्वस्त किया कि "संदर्भित विषयांतर्गत पालन प्रतिवेदन आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जावेगा।

परीक्षा परिणामों के जारी होने के संबंध में सदन की चिंता पर अध्यक्ष एवं कुलपति ने सदन को यह विश्वास दिलाया कि विश्वविद्यालय के आगामी वार्षिक परीक्षा के स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अंतिम वर्ष के परिक्षा परिणाम 15 जून तक एवं अन्य सभी परिणाम 30 जुलाई के पूर्व जारी कर दिया जावेगा। परीक्षा आयोजन एवं परिणाम जारी करने के मामलों में स्पष्टता एवं गोपनीयता को बनाये रखा जावेगा।

विषय क्रमांक 03.

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23/07/2018 एवं 01/08/2018 में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन करना।

निर्णयः विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2018 एवं दिनांक 01.08.2018 में लिए गये निर्णयों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 04.

श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कुम्हारी, दुर्ग (छ.ग.) के लिए परिनियम 28 के अंतर्गत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि शिक्षा संकाय के शिक्षकीय पदों के न्यूनतम योग्यता संबंधी संशोधनों को राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावी मान्य किया जावे।

विषय क्रमांक 05.

श्रीमती शील वर्मा द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त सत्र 2017–18 से एम.एस–सी. जुलॉजी विषय के लिए गोल्ड मेडल के विनियम का अनुमोदन करना।

निर्णय : डॉ. के. के. वर्मा स्मृति स्वर्ण पदक के विनियम का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 06.

(a) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी पाठ्यक्रमों (डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को छोड़कर) के प्रविण्यता प्राप्त छात्रों को एक–एक गोल्ड मेडल सत्र 2017–2018 से प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

(b) निर्मित विनियम को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णयः (a) वर्ष 2017–18 से विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों (डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को छोड़कर) के प्रविण्यता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त छात्रों को एक–एक स्वर्ण पदक प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह स्वर्ण पदक " हेमचंद यादव विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक के नाम से जाना जावेगा।

(b) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक विनियम का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 07.

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी पाठ्यक्रमों में प्रविण्यता प्राप्त छात्रों को सत्र 2017–18 से गोल्ड मेडल प्रदान करने।

(a) राशि 23,40,000 रू. परीक्षा मद से गोल्ड मेडल खाते में स्थानांतरण की अनुमति प्रदान करना।

(b) सत्र 2017–18 के गोल्ड मेडल प्रदान करने राशि 1,17,000 रू. परीक्षा मद से भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णयः (a) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए कुल राशि रू. 23,40,000.00 (रू. तेईस लाख चालिस हजार मात्र) परीक्षा खाते से स्वर्ण पदक खाते में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(b) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक को वर्ष 2017—18 से प्रदान करने के संबंध में स्वर्ण पदक निर्माण पर संभावित व्यय राशि रू. 1,17,000.00 (रू. एक लाख सत्रह हजार मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 08.

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न बैंकों में खाता खोले जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न बैंकों में खाता खोले जाने की सूचना ग्रहण की गई। राशियों के प्रबंधन हेतु बैंक खातों के संदर्भ में कार्यवाही हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया। कुलसचिव विश्वविद्यालय हित में आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकेंगे।

विषय क्रमांक 09.

विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिला कलेक्टर, दुर्ग द्वारा जारी दिनांक 08.05.2018. को संशोधित न्यूनतम मजदूरी दर देने पर विचार करना।

निर्णयः जिला कलेक्टर, दुर्ग द्वारा दिनांक 08.05.2018 को जारी न्यूनतम मजदूरी दर देने की अनुमति प्रदान की गई। यह मजदूरी दिनांक 08.05.208 से प्रभावी मान्य होगी।

विषय क्रमांक 10.

विश्वविद्यालय में सेवा में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को राज्य शासन एवं श्रम विभाग के प्रावधान अनुसार भविष्य निधि एवं बीमा का लाभ प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णयः राज्य शासन एवं श्रम विभाग के भविष्य निधि एवं बीमा के लाभ दिये के प्रावधान को इस विश्वविद्यालय में लागू मान्य किया गया। पूर्व से दिये जा रहे इस लाभ का नियमितिकरण भी मान्य किया गया।

विषय क्रमांक 11.

निम्न विभागों को स्थायी अग्रिम भुगतान करने की सूचना ग्रहण करना

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण — राशि रू. 5000/—
2. वाहन प्रकोष्ठ — राशि रू. 10000/—

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

<u>पूरक सूची</u>

पूरक विषय क्रमांक 01.

शोध उपाधि हेतु विभिन्न स्तर पर देय शुल्कों की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः शोध उपाधि पाठ्यक्रम के विभिन्न स्तर पर देय शुल्क एवं शोध केन्द्र से संबंधित शुल्कों को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा वर्ष 2012 में निर्धारित के अनुरूप रखे जाने का निर्णय लिया गया।

पूरक विषय क्रमांक 02.

विश्वविद्यालय के अधिकारियों को दूरभाष भत्ता देने पर विचार करना।

निर्णयः राज्य शासन के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों को दूरभाष भत्ता प्रतिपूर्ति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषय क्रमांक 03.

छात्रों के आवेदन पर परीक्षा परिणाम निरस्त करने पर विचार करना।

निर्णयः परीक्षा परिणाम निरस्त करने की अनुमति प्रदान की गई।

पूरक विषय क्रमांक 04.

विश्वविद्यालय के क्रीड़ासमिति की प्रथम बैठक दिनांक 10.08.2018 में लिए गए निर्णय को लागू करने हेतु विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ।

निर्णयः क्रीड़ासमिति की प्रथम बैठक दिनांक 10.08.2018 में लिए गए निर्णय को अनुमोदित किया गया।

पूरक विषय क्रमांक 05.

विश्वविद्यालय के परिवर्तित नाम के अनुरूप विश्वविद्यालय लोगो (प्रतीक चिन्ह) में किए गये संशोधन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई। मोनो में वर्ष ''2015'' के सामने ''स्थापना'' शब्द का उल्लेख किया जावे एवं अंग्रेजी के शब्द CG में (.) लगाया जावे।

पूरक विषय क्रमांक 06.

कुलपति के निज सहायक के पद पर संविदा में नियुक्त श्री प्रदीप दुबे की संविदा नियुक्ति में एक वर्ष की वृद्धि की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य

1. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग खोलने के प्रयास से सदन को अध्यक्ष एवं कुलपति ने अवगत कराया एवं विश्वविद्यालय संचालन के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
   सदन ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

2. सदन ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों से परिनियम–28 के अंतर्गत नियुक्त प्राचार्य एवं शिक्षकों की सूची आगामी कार्यपरिषद् में रखे जाने की मांग की। जिस पर कुलसचिव को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।

बैठक के मध्य में प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति माननीय बलराम जी दास टंडन के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। सदन ने कुलाधिपति महोदय के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजली अर्पित की एवं सदन की बैठक समाप्त की गई।

कुलपति

कुलसचिव

पृ.क्र. 465 /अका./2018

दुर्ग, दिनांक : 27/08/2018

प्रतिलिपिः

1. कार्यपरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
2. राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
4. वित्त नियंत्रक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
5. कुलपति के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

कुलसचिव